

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 20 (101)आभि./बजट/लेखा/आकाशि/2011-12/

दिनांक

1. प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय (पुरुष/महिला/T.A.D.)
राजस्थान ।
2. सहायक निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा
जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/अजमेर/कोटा ।
3. कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी,
कॉलेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर ।
4. संयुक्त निदेशक (अनुदान/छात्रवृत्ति)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए बजट आवंटन (आयोजना भिन्न) हेतु ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए आयोजना भिन्न के अन्तर्गत संचालित विभिन्न लेखा मदों में बजट आवंटन संलग्न प्रपत्रानुसार किया जाता है । आवंटित राशि का उपयोग/व्यय करते समय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, बजट नियमावली के नियमों, यात्रा, चिकित्सा एवं मकान किराया भत्ता नियमों के साथ-साथ निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे :-

1. विभिन्न लेखा मदों/उपमदों में व्यय आवंटित राशि की सीमा तक ही किया जावे । यदि मुख्यालय से पूर्व अनुमति या अतिरिक्त आवंटन प्राप्त किये बिना आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
2. सभी विस्तृत लेखा शीर्षों में वित्तीय प्रावधान सीमित है । अतः अतिरिक्त मांगों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा ।
3. आवंटित राशि के नियमानुसार उपयोग एवं लेखांकन के लिए सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, आहरण वितरण अधिकारी, लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार एवं सम्बन्धित कर्मचारी पूर्ण सावधानी रखेंगे । अनियमित व्यय की स्थिति में दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।
4. कोषागारों को प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों पर बजट शीर्षक, उपशीर्षक, जघुशीर्षक एवं विस्तृत शीर्षक वित्त (व्यय-1) विभाग के परिपत्र संख्या एफ 4 (23) वित्त-1/1आ.व्यय/2003 दिनांक 30-08-03 के अनुसार अंकित किये जावेंगे । ध्यान रहे कि बिलों पर लेखा शीर्षों का अंकन सुपाठ्य स्टाम्प (मोहर) से किया जावे । ताकि महालेखाकार कार्यालय में व्यय का लेखांकन सही मद के अन्तर्गत हो सके । आयोजना एवं आयोजना भिन्न के लिए पृथक-पृथक बिल तैयार किया जावे ।
5. प्रत्येक माह का आय-व्यय विवरण पत्र लेखा शीर्षानुसार (आयोजना एवं आयोजना भिन्न का पृथक-पृथक) आगामी माह की 5 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के नाम भिजवाया जाना सुनिश्चित करें । मासिक आय-व्यय विवरण पत्र विलम्ब से प्रेषित किये जाने की स्थिति में अंक मिलान एवं व्यय नियंत्रण कार्य में हुई देरी के लिए सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को उत्तरदायी ठहराया जावेगा ।
6. यात्रा एवं चिकित्सा मद में आवंटित राशि का उपयोग महाविद्यालय/कार्यालय में अवशेष बकाया दावों का उनकी प्राप्ति दिनांक से प्राथमिकता क्रम में भुगतान करने हेतु किया जावे । प्राप्ति तिथि से प्राथमिकता क्रम के निर्धारण हेतु महाविद्यालय/कार्यालय में एक रजिस्टर का संधारण किया जावे/दावों के प्राप्ति प्राथमिकता क्रम में भंग किये जाने से दावों के कालातीत होने की सम्भावना होगी जिसके लिए सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
7. चिकित्सा एवं यात्रा मद में 30 सितम्बर 10 तक के बकाया दावों का भुगतान करने के पश्चात् ही आगे के दावों का भुगतान किया जावे। आवंटित राशि में विशेष चिकित्सा दावों की आनुपातिक राशि भी शामिल है।

8. यात्रा व्यय में आवंटित राशि का उपयोग पूर्ण मितव्ययता से किया जावे । अनावश्यक यात्राओं को प्रतिबन्धित किया जावे । जहां तक सम्भव हो सूचनाओं का संप्रेषण एवं राजकीय कार्यों के निपटारे हेतु डाक-तार, फ़ैक्स (2703897) एवं दूरभाष सुविधाओं का उपयोग किया जावे । प्रायः यह देखने में आया है कि पत्र पर सूचनाएं देने या किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्य हेतु यात्राएं की जाती हैं, जो कि स्वीकार्य नहीं हैं । यात्रा बिलों में यात्रा का पूर्ण औचित्य अंकित कराया जावे ।
9. चिकित्सा दावों के भुगतान से पूर्व उनकी चिकित्सा परिचर्या नियम के अनुसार गहन जांच की जावे, ताकि भ्रष्टाचार दावों के भुगतान से बचा जा सके । यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा किसी बीमारी विशेष के लिए बार-बार दावे प्रस्तुत किये जाते हैं । तो उन दावों की विशेष जांच करवाई जाये तथा उक्त कर्मचारी/अधिकारी को रोगी को अच्छे चिकित्सालय में इलाज बाबत कहा जावे ।
10. राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा समय-समय पर लगाये गये प्रतिबन्धों के बावजूद यदि किसी महाविद्यालय में प्रतिबन्ध अवधि में प्रतिबन्धित क्रय या व्यय किया जाता है तो ऐसे व्यय के भुगतान की मुख्यालय से न तो स्वीकृति दी जावेगी और न ही इस हेतु राशि का आवंटन किया जावेगा । यदि महाविद्यालय द्वारा ऐसा कोई दावा पारित कराया जाता है तो वह नियम के विरुद्ध होगा एवं उसके लिए सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य, कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे ।
11. कार्यालय व्यय मदों में खर्चों को आर्थिक रूप से पूर्ण नियोजित एवं नियंत्रित रखा जावे क्योंकि इस मद का स्वीकृत प्रावधान अत्यन्त सीमित है । बिजली पानी एवं टेलिफोन के अनावश्यक उपयोग को नियंत्रित करावे । व्यय करते समय व्ययों का क्रम अपरिहार्यता के आधार पर यथा - विद्युत, पानी, टेलिफोन, स्टेशनरी, फर्नीचर, मरम्मत आदि निर्धारित किया जावे । फर्नीचर मरम्मत हेतु अलग से बजट आवंटित नहीं किया जावेगा । इस मद पर व्यय कार्यालय बजट मद में सम्मिलित है ।
12. पुस्तकालय मद में क्रय करते समय पुस्तकों के अद्यतन संस्करण ही क्रय किया जावे । पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों को दृष्टिगत रखते हुए क्रय की जाने वाली पुस्तकों का निर्धारण किया जावे । पुस्तकों पर नियमानुसार अधिकतम छूट प्राप्त करने के प्रयास किये जावे ताकि उपलब्ध बजट से अधिकतम पुस्तकें क्रय की जा सकेंगी । इस हेतु मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों की भी पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे ।
13. प्रयोगशाला मद में आवंटित राशि के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्रय प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ कर दी जावे । क्रय को वित्त वर्ष के अन्तिम महीनों के लिए लम्बित नहीं रखा जावे । इन मदों में वर्ष के अन्त में समर्पण या बचत के लिए आप व्यक्तिशः जवाबदेय होंगे । अतः समय रहते आवश्यकताओं का निर्धारण कर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार पूर्णतः प्रक्रिया अपनाते हुए क्रय किया जावे ।
14. विभिन्न मदों में आवंटन करते समय आपकी गत वर्ष की मांग एवं पूर्व आवंटनों को ध्यान में रखा गया है फिर भी आवंटित राशि में से आपको किसी राशि की आवश्यकता न हो या किसी कारणवश इस वित्तीय वर्ष में आप द्वारा उसका उपयोग सम्भव प्रतीत न हो तो समर्पण राशि की सूचना दिनांक 15-09-11 तक इस कार्यालय को अनिवार्यतः दे दी जावे । ताकि इस राशि को अन्य महाविद्यालयों को आवंटित किया जा सके ।
15. जिन चिकित्सा मामलों में राज्य सरकार द्वारा अग्रिम स्वीकृत किया जाता है उसे अतिरिक्त बजट आवंटन नहीं माना जावे एवं स्वीकृत बजट से उसका समायोजन किया जावे ।
16. कोड संख्या 57 विभाग की विशिष्ट सेवाओं पर व्यय मद में खेलकूद सामग्री एवं सम्बद्धता शुल्क सम्मिलित है जिसमें से खेलकूद सामग्री क्रय हेतु आवंटन किया जा रहा है एवं सम्बद्धता शुल्क हेतु आपके मांग पत्र प्राप्त होने पर ही आवंटन किया जा सकेगा ।
17. दिनांक 01-01-04 एवं उसके बाद नव नियुक्त कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना में राशि आहरित करने हेतु नवीन शीर्ष -89 अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान बजट मद के अन्तर्गत बजट आवंटन किया जा रहा है । अतः ऐसे समस्त भुगतान नियमानुसार इसी बजट मद के अन्तर्गत किये जावेंगे ।

संलग्न : बजट आवंटन शीट ।


भवदीय


निदेशक

कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 20 (101)आभि./बजट/लेखा/आकाशि/2011-12/02-132 दिनांक 02/05/11

- प्रतिलिपि :
- 1 महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है ।
 - 2 निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है ।
 - 3 संयुक्त निदेशक, (पी. एण्ड सी) को भेजकर लेख है कि आवंटित बजट को विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावे ।
 - 4 अंकमिलान शाखा, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।



मुख्य लेखाधिकारी

कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर


Directorate of College Education, Rajasthan, Jaipur.

Budget Head : Demand No. 24
 2202- General Education
 03 Universities & Higher Education
 001- Direction & Administration
 (01) Directorate (Non Plan)

Budget Allocation Sheet for the Year 2011-12

(RS In Lacs)

S.No	NAME OF COLLEGE	Head of Accounts for the Budget Allocated														Total
		01 Salary	03 T.A	04 Medical	05 OE	06 per Of Veh.	07 Maint of Gov.Veh.	08 Prof. Serv.	09 RRT	29 Meet. & conferenc ^e	31 Library	37 Liveris	39 New pension plan			
1	आयुक्तालय	600.00	1.50	3.00	24.00	6.00	0.84	1.50	0.00	0.10	0.01	0.18	0.60	637.73		
2	सहायक निदेशक अजमेर	10.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30		
3	सहायक निदेशक बीकानेर	2.00	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06		
4	सहायक निदेशक जोधपुर	23.00	0.20	0.20	0.50	0.00	0.00	0.50	0.52	0.00	0.00	0.02	0.00	24.94		
5	सहायक निदेशक कोटा	10.00	0.03	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07		
6	सहायक निदेशक उदयपुर	16.00	0.06	0.10	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	16.47		
	Total	661.00	1.90	3.42	24.97	6.00	0.84	2.00	0.52	0.10	0.01	0.21	0.60	704.57		


 प्रमुख अकाउन्ट्स ऑफिसर
 कॉलेज शिक्षा विभाग
 जयपुर, राजस्थान

Directorate of College Education, Rajasthan, Jaipur.

**Budget Head : Demand No.24
2202- General Education
03- Universities & Higher Education
103- Government colleges & Institutions
(02)- Govt. College (Boys) Non plan**

Budget Allotment Sheet for the Year 2011-12


(RS.In Lacs)

S.No	NAME OF COLLEGE	Head of Accounts for the Budget Allotted																		Total			
		01 Salary	03 T.A	04 Medical	05-OE	08 Prof.Sar.	09 RRT	16 MINOR REPAIRS	18 M.E.T.P	20 M.O.V	22 Material & supply	28 Other Charges	29 Meeting & Con.	31 Library	33 Laboratory	37 Livens	57 Spl services of Deptt.	89 New Pension plan					
1	अरमपुर	1900.00	0.30	3.50	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.25	0.24	0.05	0.87	1911.71
2	अरमपुर अरमपुर	900.00	0.35	1.75	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	1.10	0.14	0.03	0.27	0.40	1.10	0.14	0.03	0.27	906.34
3	फरा अरमपुर	900.00	0.40	0.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.25	0.17	0.03	1.4	0.35	0.25	0.17	0.03	1.4	906.00
4	आमरे	30.00	0.10	0.18	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.01	0.01	0.36	0.05	0.00	0.01	0.01	0.36	31.21
5	वारा	250.00	0.30	0.06	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25	0.04	0.01	1.00	0.50	0.25	0.04	0.01	1.00	253.06
6	वाराअर	250.00	0.20	0.30	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.25	0.06	0.03	0.70	0.30	0.25	0.06	0.03	0.70	252.74
7	आरमपुर	600.00	0.35	0.55	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.55	0.09	0.03	0.70	0.35	0.55	0.09	0.03	0.70	603.92
8	एम.एस.सं. अरमपुर	1300.00	0.40	1.60	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	1.00	0.21	0.03	0.35	0.40	1.00	0.21	0.03	0.35	1305.79
9	एम.एस.सं. श्रीवांगडा	900.00	0.30	1.10	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	1.20	0.15	0.04	0.80	0.45	1.20	0.15	0.04	0.80	906.34
10	ड्यूर अरमपुर	1500.00	0.45	2.25	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.40	0.22	0.03	2.50	0.50	1.40	0.22	0.03	2.50	1510.05
11	दुंदी	600.00	0.20	0.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.85	0.05	0.03	1.50	0.45	0.85	0.05	0.03	1.50	605.28
12	दोडागनी	80.00	0.15	0.16	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.10	0.03	0.02	0.20	0.30	0.10	0.03	0.02	0.20	81.57
13	दादोदसा	70.00	0.15	0.15	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.20	0.02	0.03	0.40	0.40	0.20	0.02	0.03	0.40	71.95
14	दादोदसा	220.00	0.15	0.30	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.05	0.03	0.67	0.40	0.00	0.05	0.03	0.67	222.50
15	दादाग	90.00	0.20	0.20	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.03	0.03	0.01	0.40	0.00	0.03	0.03	0.01	91.57
16	दादास	170.00	0.10	0.20	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.03	0.03	0.90	0.30	0.00	0.03	0.03	0.90	172.46
17	दादागनडी	80.00	0.08	0.12	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.03	0.03	0.01	0.30	0.00	0.03	0.03	0.01	81.17
18	दीनगला	120.00	0.15	0.12	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.20	0.04	0.03	0.15	0.30	0.20	0.04	0.03	0.15	121.79
19	दिनपुरा	730.00	0.20	0.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.75	0.04	0.03	0.75	0.30	0.75	0.04	0.03	0.75	734.37
20	दिनपुराअर	420.00	0.12	0.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.80	0.11	0.03	1.00	0.30	0.80	0.11	0.03	1.00	424.16
21	दूक	520.00	0.20	0.64	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.25	0.11	0.04	1.50	0.40	0.25	0.11	0.04	1.50	525.04
22	दूक	760.00	0.35	1.30	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.80	0.14	0.03	0.70	0.30	0.80	0.14	0.03	0.70	765.22
23	दीखगना	210.00	0.15	0.30	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.09	0.03	1.00	0.30	0.30	0.09	0.03	1.00	213.27
24	दीखपुरा	330.00	0.10	0.40	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.33	0.07	0.03	0.00	0.30	0.33	0.07	0.03	0.00	332.53
25	दीग	180.00	0.25	0.16	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.10	0.03	0.03	0.20	0.30	0.10	0.03	0.03	0.20	181.77
26	देवली	90.00	0.15	0.25	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.12	0.03	0.03	0.27	0.30	0.12	0.03	0.03	0.27	92.50
27	फलोदी	50.00	0.40	0.20	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.50	0.02	0.03	0.76	0.35	0.50	0.02	0.03	0.76	52.76
28	नारायण सिंह	260.00	0.12	0.32	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.10	0.08	0.03	0.30	0.30	0.10	0.08	0.03	0.30	262.25
29	नारायणसिंह	80.00	0.20	0.16	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.02	0.03	0.23	0.40	0.00	0.02	0.03	0.23	81.64
30	सिखोजसिंह	120.00	0.15	0.15	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.02	0.03	0.59	0.20	0.00	0.02	0.03	0.59	121.94
31	सैखपुरा	180.00	0.20	0.28	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.06	0.03	0.01	0.40	0.40	0.06	0.03	0.01	182.33
	संगी. / एक.	13890.00	6.92	19.00	40.45	0.00	0.00	0.25	0.00	0.10	0.00	0.00	11.00	13.05	2.43	0.93	20.1	1400.23					

DR. SUNIL KUMAR
DR. SUNIL KUMAR
DR. SUNIL KUMAR

Sl.No	NAME OF COLLEGE	Head of Accounts for the Budget Allocated														Total		
		01 Salary	02 T.A	04 Medical	05 CE	06 Prof.Ser.	08 R.R.T	16 MINOR REPAIRS	18 M.F.P	20 M.O.V	22 Material & supply	23 Other Charges	29 Meeting	31 Library	33 Laboratory		37 Livens services	85 New pension
32	गंगा जी / गंग.	13890.00	6.92	19.00	40.45	0.00	0.00	0.25	0.00	0.10	0.00	0.00	11.00	13.05	2.43	0.93	20.10	14004.23
33	गंगाराम	190.00	0.25	0.20	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.50	0.02	0.03	0.80	193.00
34	काका देवा	350.00	0.20	0.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.42	0.09	0.03	0.22	352.86
35	काका देवा	520.00	0.25	0.40	1.40	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.55	0.06	0.03	0.01	523.35
36	काका देवा	380.00	0.08	0.35	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.45	0.10	0.03	1.50	384.11
37	काका देवा	420.00	0.12	0.38	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.60	0.10	0.03	0.18	423.01
38	काका देवा	1750.00	0.15	3.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.25	0.05	1.00	1759.15
39	काका देवा	350.00	0.10	0.45	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.80	0.07	0.03	0.01	352.11
40	काका देवा	610.00	0.12	0.75	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.35	0.10	0.03	0.80	613.95
41	काका देवा	110.00	0.10	0.10	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.04	0.03	0.40	111.82
42	काका देवा	210.00	0.33	0.15	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.55	0.02	0.03	2.40	214.38
43	काका देवा	90.00	0.05	0.30	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.01	0.03	0.25	91.64
44	काका देवा	80.00	0.12	0.20	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.15	0.02	0.03	0.01	81.53
45	काका देवा	60.00	0.15	0.18	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.10	0.01	0.03	0.35	61.82
46	काका देवा	90.00	0.20	0.15	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.20	0.09	0.03	0.20	91.87
47	काका देवा	130.00	0.18	0.20	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.45	0.02	0.03	0.25	132.43
48	काका देवा	360.00	0.25	0.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.70	0.08	0.03	0.70	364.14
49	काका देवा	380.00	0.18	0.50	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.35	0.08	0.03	0.60	383.19
50	काका देवा	370.00	0.22	0.50	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.55	0.09	0.03	2.00	375.09
51	काका देवा	110.00	0.15	0.36	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.03	0.03	0.50	112.62
52	काका देवा	80.00	0.10	0.10	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.04	0.03	0.35	81.47
53	काका देवा	140.00	0.40	0.14	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.40	0.05	0.03	0.80	142.82
54	काका देवा	140.00	0.15	0.20	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.50	0.03	0.03	1.10	143.06
55	काका देवा	800.00	0.20	0.63	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.40	0.05	0.03	1.10	804.51
56	काका देवा	350.00	0.35	0.55	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.09	0.03	1.10	353.87
57	काका देवा	140.00	0.22	0.20	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.20	0.05	0.03	0.01	141.66
58	काका देवा	125.00	0.10	0.20	0.65	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.15	0.04	0.03	0.30	127.27
59	काका देवा	80.00	0.10	0.14	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.20	0.03	0.03	0.70	82.25
60	काका देवा	250.00	0.10	0.10	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.15	0.01	0.03	0.30	26.84
61	काका देवा	350.00	0.10	0.45	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.50	0.05	0.03	0.01	352.69
62	काका देवा	380.00	0.18	0.45	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.40	0.09	0.03	1.00	383.60
63	काका देवा	1120.00	0.30	1.15	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.80	0.09	0.03	1.00	1126.52
64	काका देवा	350.00	0.20	0.45	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.60	0.09	0.03	1.30	354.52
65	काका देवा	550.00	0.12	0.50	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.35	0.70	0.10	0.23	0.40	555.95
66	काका देवा	150.00	0.25	0.18	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.60	0.05	0.03	1.25	153.51
67	काका देवा	210.00	0.15	0.15	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.10	0.03	0.03	0.50	212.31
68	काका देवा	160.00	0.20	0.12	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.25	0.06	0.03	0.25	162.61
69	काका देवा	90.00	0.20	0.28	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.02	0.03	0.01	91.64
70	काका देवा	100.00	0.05	0.14	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.30	0.03	0.03	0.40	102.20
71	काका देवा	50.00	0.20	0.08	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.10	0.01	0.03	0.40	51.97
72	काका देवा	700.00	0.15	0.50	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.50	0.08	0.03	1.30	704.86
73	काका देवा	110.00	0.05	0.32	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.08	0.04	0.03	0.42	111.94
74	काका देवा	150.00	0.02	0.28	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.04	0.03	0.14	152.79
		26800.00	14.01	35.48	85.80	0.10	0.48	1.00	0.45	0.20	0.50	0.01	24.65	27.97	4.88	4.41	46.42	27046.76

(Rs. in Lacs.)


 Controller of Accounts
 Vibaqa College
 Vibaqa, Dist. Warananagar

Budget Head : Demand No. 24

2202- General Education

03 Universities & Higher Education

103- Government colleges & Institutions

(05) Govt.College (for Women) Non Plan

Directorate of College Education, Rajasthan, Jaipur.

Budget Allotment Sheet for the Year 2011-12

(RS.In Lacs)

S.No	NAME OF COLLEGE	Head of Accounts for the Budget Alloted											Total
		01 Salary	03 T.A	04 Medical	05 OE	09 RRT	31 Library	33 Laboratory	37 Livens	57spt services of Deptt.	89 New pension plan		
1	बसकेर	160.00	0.10	0.35	0.55	0.00	0.15	0.10	0.03	0.02	0.06	161.36	
2	बसकेर	600.00	0.34	0.80	1.05	0.00	0.10	0.70	0.10	0.01	0.60	603.70	
3	बसकेर	120.00	0.16	0.07	0.45	0.00	0.10	0.15	0.01	0.02	0.48	121.44	
4	बसकेर	70.00	0.05	0.08	0.50	0.00	0.25	0.15	0.02	0.02	0.17	71.24	
5	बसकेर	50.00	0.09	0.05	0.45	0.00	0.25	0.00	0.01	0.02	0.01	50.88	
6	बसकेर	400.00	0.30	0.50	0.90	0.00	0.10	0.50	0.07	0.02	0.53	402.92	
7	बसकेर	450.00	0.20	0.50	1.05	0.00	0.10	0.50	0.10	0.02	0.11	452.58	
8	बसकेर	550.00	0.25	1.00	1.30	0.00	0.10	0.35	0.15	0.01	0.35	553.51	
9	बसकेर	100.00	0.08	0.08	0.45	0.00	0.25	0.15	0.00	0.02	0.13	101.16	
10	बसकेर	80.00	0.15	0.20	0.50	0.00	0.10	0.15	0.05	0.02	0.25	81.42	
11	बसकेर	110.00	0.08	0.08	0.50	0.00	0.25	0.15	0.03	0.02	0.20	111.31	
12	बसकेर	180.00	0.15	0.15	0.50	0.00	0.25	0.10	0.04	0.02	0.10	181.31	
13	बसकेर	20.00	0.10	0.05	0.45	0.00	0.25	0.00	0.02	0.01	0.01	20.89	
14	बसकेर	70.00	0.16	0.10	0.45	0.00	0.25	0.00	0.03	0.02	0.21	71.22	
15	बसकेर	40.00	0.07	0.10	0.60	0.00	0.20	0.00	0.03	0.02	0.40	41.42	
16	बसकेर	110.00	0.06	0.08	0.45	0.00	0.25	0.00	0.01	0.02	0.01	110.88	
17	बसकेर	45.00	0.08	0.08	0.45	0.00	0.25	0.10	0.03	0.02	0.20	46.21	
18	बसकेर	1050.00	0.45	1.50	1.50	0.00	0.10	0.60	0.50	0.02	0.70	1055.37	
19	बसकेर	70.00	0.06	0.08	0.45	0.00	0.25	0.15	0.05	0.02	0.25	71.31	
20	बसकेर	40.00	0.15	0.10	0.45	1.10	0.20	0.10	0.02	0.02	0.15	42.29	
21	बसकेर	120.00	0.03	0.30	0.50	0.00	0.15	0.15	0.04	0.02	0.01	121.20	
22	बसकेर	90.00	0.15	0.10	0.45	0.00	0.20	0.00	0.01	0.02	0.25	91.18	
23	बसकेर	120.00	0.22	0.20	0.45	0.00	0.25	0.10	0.03	0.02	0.70	121.92	
24	बसकेर	40.00	0.15	0.10	0.45	0.00	0.25	0.00	0.01	0.02	0.01	40.99	
25	बसकेर	60.00	0.06	0.10	0.45	0.00	0.25	0.15	0.02	0.01	0.45	61.49	
26	बसकेर	380.00	0.35	0.60	0.80	0.00	0.10	0.45	0.14	0.02	0.55	383.01	
27	बसकेर	110.00	0.09	0.08	0.50	0.00	0.20	0.00	0.03	0.02	0.10	111.02	
28	बसकेर	80.00	0.07	0.10	0.45	0.00	0.30	0.00	0.01	0.02	0.15	81.10	
29	बसकेर	40.00	0.06	0.08	0.45	0.00	0.10	0.00	0.03	0.02	0.25	40.99	
30	बसकेर	120.00	0.06	0.30	0.50	0.00	0.25	0.20	0.03	0.02	0.01	121.37	
31	बसकेर	1125.00	0.50	0.38	2.00	0.00	0.25	0.90	0.15	0.02	0.70	1129.90	
	बसकेर	6600.00	4.82	8.29	20.00	1.10	6.00	5.90	1.80	0.53	8.10	6656.59	

Directorate of College Education, Rajasthan, Jaipur.

Budget Head : Demand No. 30

2202- General Education

03 Universities & Higher Education

796- Tribles Sub Plan

(01) Govt.College (for Men) Non Plan

Budget Allotment Sheet for the Year 2011-12

(Rs. in Laacs)


S.No	NAME OF COLLEGE	Head of Accounts for the Budget Alloted											Total
		01 Salary	03 T.A	04 Medical	05 OE	31 Library	33 Laboratory	37 Liveris	57spi services of	89 New pension			
1	भारतेंद्र	140.00	0.23	0.10	1.10	0.50	0.60	0.05	0.02	0.90		143.50	
2	विद्यालया	550.00	0.28	1.00	2.40	0.90	1.50	0.16	0.02	0.50		556.96	
3	श्रीराधु	310.00	30.	0.40	1.70	0.60	0.90	0.12	0.02	1.00		314.74	
4	कुशाग्रतंड	30.00	0.16	0.10	0.75	0.40	0.00	0.04	0.02	0.01		31.48	
5	प्राणपार	180.00	0.12	0.10	1.20	0.60	0.40	0.08	0.02	0.70		183.22	
6	चन्द्रावर	60.00	0.10	0.30	0.55	0.30	0.00	0.03	0.02	0.30		61.60	
7	विद्यालया	25.00	0.08	0.05	0.70	0.40	0.00	0.03	0.02	0.45		26.73	
8	श्रीराधु तंड	100.00	0.17	0.11	1.00	0.90	0.60	0.05	0.02	0.01		102.86	
9	श्रीराधु तंड	80.00	0.15	0.18	0.60	0.40	0.00	0.04	0.02	0.01		81.40	
	Total	1475.00	1.29	2.34	10.00	5.00	4.00	0.60	0.19	3.98		1502.39	


 श्री विद्यालया
 कक्षा क्र. 101
 राजस्थान, जयपुर

Directorate of College Education, Jaipur

NON PLAN BUDGET ALLOTMENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2011-12

S.No.	Budget Head	Name of Office	(Rs. In Lacs) Amount Alloted
1	2202- General Education 03 - Universities & Higher Education 104 - Grant in Aid to Non-Govt. Colleges & Instt. (02) - Colleges 12 - Grant in Aid (Non Plan)	Directorate College Education, Jaipur	1060.00
2	2202- General Education 03 - Universities & Higher Education 107 - Scholarship (01) - Scholarship & Vasifa (Non Plan)	Directorate College Education, Jaipur	2.00
3	2202- General Education 03 - Universities & Higher Education 107 - Scholarship (02) - Scholarship for the Student of Urdu subject (Non Plan)	Directorate College Education, Jaipur	3.50
4	2202- General Education 03 - Universities & Higher Education 107 - Scholarship (03) - Scholarship for the talented Daughter of Ex Soldiers (Non Plan)	Directorate College Education, Jaipur	5.50


मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर